

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प012 (3) राज/वाद/99 पार्ट

जयपुर दिनांक: 07/06/23

आदेशः

श्री सुधीर टांक, अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधपुर से प्राप्त उनके पत्र दिनांक 09.05.23 के दृष्टि में
उनके पूर्व जूनियर अधिवक्ता श्री सारांश विज (पंजीयन क्रमांक), के स्थान पर श्री नवनीत सिंह (वार्षि),
अधिवक्ता (पंजीयन क्रमांक आर/981/2012) को दिनांक 08.05.23 से उनके जूनियर अधिवक्ता के रूप
में कार्य करने की सहमति प्रदान की जाती है।

सामान्य शर्तें अनुबंध एवं पारिश्रमिक (फीस) निम्न प्रकार हैं:-

1. जूनियर अधिवक्ता को श्री सुधीर टांक, अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधपुर को प्रकरण में देय फीस
(अतिरिक्त महाधिवक्ता को देय मासिक रिटेनरशिप फीस को छोड़कर) की 20 प्रतिशत राशि देय
होगी है।
2. जूनियर अधिवक्ता को देय 20 प्रतिशत राशि अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधपुर की अनुशंसा पर
संयुक्त रूप से अनुपातानुसार अथवा अनुशंसानुसार जूनियर विशेष को देय होगी।
3. वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों एवं निगमों का ऐसे किसी भी प्रकरण में
ब्रीफ स्वीकार नहीं करेंगे, जिनसे राजकीय हित प्रभावित होते हो।
4. उक्त शर्तों के अलावा विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सेवा शर्तों/
निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

-50-

(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विद्वान महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
2. विशेषाधिकारी (जीएसवाई), माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. श्री सुधीर टांक, अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधपुर।
4. संबंधित अधिवक्ता।
5. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ।
6. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

3000
7/6/23

शासन सचिव, विधि
अनुपमा राजीव बिजलानी,
शासन सचिव, विधि